निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या : 45/2024 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

अनुभव हल्दिया पुत्र श्री वीरेन्द्र हल्दिया निवासी मकान नम्बर 41, सुन्दर नगर, मालवीय नगर, जयपुर । जरिये मुख्त्यार आम दुर्गाशरण हल्दिया पुत्र श्री जगदीश प्रसाद हल्दिया जाति महाजन निवासी 103, श्रीराम नगर–बी, जी–1, बालाजी अपार्टमेन्ट, कालवाड रोड, झोटवाडा, जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री राजेश जाखड आर.ए.एस. पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम जयपुर ।
2. महेश कुमार पुत्र आनन्दी लाल निवासी सिरसी मोड, अरविन्द स्कूल के पीछे, तहसील व जिला जयपुर ।
3. मन्ना लाल पुत्र आनन्दी लाल निवासी सिरसी मोड, अरविन्द स्कूल के पीछे, तहसील व जिला जयपुर ।

अप्रार्थी/वादीगण

4. मंगलचन्द पुत्र हनुमान निवासी ग्राम सिरसी, तहसील व जिला जयपुर ।
5. जगदीश प्रसाद पुत्र हनुमान निवासी ग्राम सिरसी, तहसील व जिला जयपुर ।
6. राजकुमार पुत्र आनन्दीलाल निवासी सिरसी मोड, अरविन्द स्कूल के पीछे, तहसील व जिला जयपुर ।
7. श्रीमती पुष्पा हल्दिया पत्नी राजेन्द्र हल्दिया निवासी हल्दिया भवन, गांधी नगर मोड, जयपुर।
8. महेश कुमार अग्रवाल पुत्र एस. एन. अग्रवाल निवासी बी–56, हनुमान नगर, वैशाली नगर जयपुर ।
9. मोहन लाल खण्डेलवाल पुत्र मूलचन्द गुप्ता निवासी 18, मोदीनगर, पुरानी चुंगी, अजमेर रोड, जयपुर ।

अप्रार्थी/प्रतिवादीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 69/2024 (टी आई संख्या 67/2024) ब उनवानी महेश कुमार बनाम मंगल चन्द व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थितः–

1. श्री सीताराम कुमावत अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से ।

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय दिनांक 02.07.2024

संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के समक्ष प्रकरण संख्या 69/2024 (टी आई संख्या 67/2024) ब उनवानी महेश कुमार बनाम मंगलचन्द व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई । अप्रार्थी 2 व 3 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित है। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

प्रार्थी अधिवता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण द्वारा ग्राम बिन्दायका तहसील जयपुर के आराजी खसरा नम्बर 76 से 80 एवं 85 से 88 के सम्बन्ध में प्रार्थी एवं अन्य प्रतिवादीगण के विरूद्व दावा मय टी आई प्रस्तुत कर रखा है। दावा व टी आई पेश होने पर वादीगण को एक पक्षीय अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पर सुना जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश जारी किये जाने से पूर्व सभी पक्षकारों को नोटिस जारी करने का आदेश प्रदान किया जाकर आगामी पेशी दिनांक 30.04.2024 नियत की गई तत्पश्चात दिनांक 30.04.2024 को सभी प्रतिवादीगण की तामील नहीं होने के कारण प्रकरण में तारीख पेशी दिनांक 06.05.2024 नियत की गई। प्रकरण में दिनांक 06.05.2024 को भी तामील पूर्ण नहीं होने पर आगामी पेशी दिनांक 21.06.2024 नियत की गई। प्रकरण में प्रार्थी की ओर से केवीयट प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया है जिसे शामिल पत्रावली नहीं किया गया है एवं प्रकरण अन्य प्रतिवादीगण की तामील की स्टेज पर है तथा सुनवाई हेतु दिनांक 21.06.2024 की पेशी नियत है। वादीगण प्रोपर्टी व्यवसायी है जिन्होंने अपनी कृषि भूमि को कई वर्ष पूर्व ही रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से बेचान कर दी है तथा अब पुनः जमीन हड़पने एवं रूपये ऐठने के लिए विक्रय के तथ्यों को छिपा कर झूंठा दावा व टी आई पेश कर राजनैतिक स्तर पर पीठासीन अधिकारी को दबाव में लेकर स्टै आर्डर अपने पक्ष में दिनांक 21.06.2024 सें पूर्व की तारीख पेशी में नियत करवा कर स्टे आर्डर अपने पक्ष में करवाने की फिराक में है। इसी उद्वेश्यय से प्रकरण में सभी पक्षो को सुने बिना ही एवं नजदीक तारीख का नोटिस जारी किये बिना ही दिनांक 14.05.2024 की तारीख तय करने हेतु प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों को ताक में रख कर स्टे आर्डर अपने पक्ष में जारी करवाने की फिराक में है जिसके चलते अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने भी दिनांक 21.06.2024 की तारीख को 14.05.2024 में तब्दील कर सभी पक्षकारान को सुने बिना ही स्टे आर्डर पारित करने पर आमादा है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी को न्याय की कतई उम्मीद नही है। अतः उक्त प्रकरण को सुनवाई हेतु अन्यत्र सक्षम न्यायालय मे अन्तरित करने के आदेश फरमावें।

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

5. अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के अधिवक्ता ने प्रार्थी के तर्को का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि प्रार्थी येनकेन प्रकारेण प्रकरण में विलम्ब करना चाहता है इस कारण प्रार्थी ने काल्पनिक एवं मनघढन्त आरोप लगाते हुये यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है । अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र को खारिज फरमावें।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है। प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों का कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो सही नहीं है। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त मोहन सिंह बनाम दलपत सिंह 1984 RRD 501, राधेलाल बनाम बसन्ती लाल 1986 RRD-18 एवं मुरलीधर बनाम रामस्वरूप 1980 RRD (NSU) 61 में भी यह माना गया है कि मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नहीं है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम को प्रेषित हो। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक 04.07.2024 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर